


न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल, म०प० ग्वालियर

श्री आ. के. देव पाठ्य
एड. च्या प्रस्तुत।
19/09/12



R. 3793 - I/12

रसु केसरी तनय भीखम धरकार, निवासी ग्राम धरसडा, तहसील चितरंगी,

जिला सिंगरौली म०प० -

— आवेदक

बनाम

- 1- रामाधार पिता कैरा धरकार
- 2- श्रीमती सुल्तानी देवी पत्नी प्राणनाथ बैसवार
- 3- प्रेमलाल पिता रामखेलावन बैसवार

सभी निवासी ग्राम धरसडा, तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली म०प०,

— अनसवेदकगण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय कलेक्टर,
जिला सिंगरौली म०प० के प्रकरण क्रमांक
95/निगरानी/2011-12, आदेश दि. 4.9.12,
=====
निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प० भू राजस्व
संहिता 1959 ई. ।
=====

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है:-

1:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

2:- यह कि विवादित भूमियों का व्यवस्थापन भूमि हीन कक्षक

✓

को
2.11.12

श्री
28.9.12
रसु केसरी


599
19.9.12

R. 3792-I/12 सिगरेटें

27/11/16

1. आरिफ की ओर लेनी अप देय पाउण्ड्स
उप.। उनके ब्याग बुरापा गपा एक प्रकार भाग
वही चलान चाहते हैं। अतः प्रकार इसी तरह
पर समाप्त किया जाता है।
2. प्रकार देनी से समाप्त होकर ए.ए. है।

लक्ष्मी





[क. प. उ.]